मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान-समर्थक तत्व**

5288. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ जिले में मसूरी, नहाल तथा धवर्सी ग्रामों में आतंक तथा अशान्ति फैलाने वाले पाकिस्तानी तत्वों के बारे में उत्तर प्रदेश के पुलिस महा-निरीक्षक को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(क) क्या यह भी सच है कि उक्त ग्रामों में गायों का खुले आम वध किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) और (ख) . राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये**

5289. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 से आज तक कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये आसाम में आकर बस गये हैं ;

(ख) उनको बाहर निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनमें से कितने घुसपैठियों को अब तक निकाल दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) अप्रैल, 1967 से 31 अक्टूबर, 1968 तक की अवधि में असम में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) सीमा सुरक्षा-दल के गठन को मजबूत बना दिया गया है और सीमा पर गश्त को तेज करने के लिये सुविधा हेतु सीमा स्थित चौकियों के स्थान पुन : नियत किये गये हैं और उनकी शक्ति बढ़ा दी गई है । इसके अतिरिक्त, नये तथा पुराने घुसपैठियों का पता लगाने के लिए निरन्तर सतर्कता बनाय रखने को इस समस्या से प्रभावित राज्य की सीमाओं पर तथा भीतरी भाग में, दोनों स्थानों पर, पुलिस निरीक्षण चौकियों का जाल बिछा है ।

(ग) उल्लिखित अवधि के दौरान 2,281 नये घुसपैठियों का पता लगाया गया और उनमें से सब को या तो सीमा पर ही पीछे धकेल दिया गया या मुकदमा/सजा, इत्यादि के बाद पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया ।

**दिल्ली में यमुना पार की बस्तियों के लिये रिंग रोड**

5290. **श्री ओंकार लाल बेरवा**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यमुना पार बस्तियों के लिये एक और रिंग रोड का निर्माण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है, जिससे इन बस्तियों को शान्ति बन के निकट मूल रिंग रोड से मिलाया जा सके,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है,

(ग) क्या यह सच है कि प्रस्तावित्त रिंग रोड के बारे में एक सर्वेक्षण भी कर लिया है, और

(घ) यदि यहां, तो उक्त सड़क का निर्माण करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**साम्प्रदायिकता फैलाने वाले समाचार पत्र–**

5291. **श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री शारदानन्द :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा कई राज्य सरकारों ने साम्प्रदायिकता फैलाने वाले समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं पर मुकदमें चलाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन समाचारपत्रों पर मुकदमे दायर किये हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन समाचार पत्रों पर मुकदमे दायर किये हैं ;

(घ) क्या कुछ मामलों पर निर्णय दे दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) : से (ङ) . मई, 1968 में दिल्ली प्रशासन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–क के अन्तर्गत शिकायतें दायर करने का अधिकार देने से पहले केन्द्रीय सरकार ने दो मुकदमे, एक "मदर इंडिया" और एक "आर्गेनाइजर" के विरुद्ध, चलाने की अनुमति दी थी । विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढावा देने वाले लेखों के संबंध में कुछ समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विरुद्ध राज्य सरकारों । संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाये गये मुकदमों के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सदन के सभा–पटल पर रखा जाता है ।[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT–2822/68]

**उत्तर प्रदेश में एक मैजिस्ट्रेट पर हमला**

5292. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ नौ महीने पहले बांदा जिला (उत्तर प्रदेश) की पुलिस के कहने पर एक गुण्डे ने एक मैजिस्ट्रेट श्री बी० डी० गुप्त को पीट दिया था और उक्त गुंडे को कारावास का दण्ड दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त जिले की पुलिस डाकुओं तथा गुंडों की सांट गांठ से धन कमा रही है और पुलिस शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करती; और

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बांदा निर्वाचन क्षेत्र के संसद् सदस्य की व्यक्तिगत